

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272338  
SG-DL-E-08052026-272338असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]	दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 36
No. 123]	DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948	[N. C. T. D. No. 36

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 मई, 2026

फा. सं. 1/3/2022/गृ0रक्ष0/6031-43— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित बॉम्बे गृह रक्षक अधिनियम, 1947 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (1) इन नियमों को दिल्ली गृह रक्षक (संशोधन) नियमावली, 2026 कहा जाए।  
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- नियम 8 में संशोधन :-** दिल्ली गृह रक्षक नियमावली, 1959 के नियम 8 में अठारहवें परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“यह भी उपबंधित है कि 30 अप्रैल, 2026 को सेवारत विद्यमान गृह रक्षक स्वयंसेवकों (तथा जो 30 अप्रैल, 2026 से 30 अप्रैल, 2027 की अवधि के दौरान कार्यमुक्त किए जाने हैं) का कार्यकाल 30 अप्रैल, 2027 अथवा नए नामांकन होने तक या आवश्यकता समाप्त होने तक, जो भी इनमें से पहले हो, तक विस्तारित किया जाएगा, बशर्ते

उनका सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक हो, कार्यकाल के दौरान गृह रक्षक के रूप में सामान्य आचरण और साथ ही नियमों में यथानिर्धारित शारीरिक स्वास्थ्य तथा आयु-सीमा भी हो।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
नितिन पाणिग्राही, उप-सचिव(गृह)

टीप : मूल नियम दिनांक 20 जुलाई, 1959 की फा0 सं0 4/59-सी0डी0 के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था तथा मूल नियम के नियम 8 में निम्न अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन किए गए :

1. अधिसूचना संख्या फाइल 1/16/07/होम गार्ड/8301-8349, दिनांक 01.07.2008
2. अधिसूचना संख्या फाइल 1/16/07/होम गार्ड/5409, दिनांक 24.12.2013
3. अधिसूचना संख्या फाइल 1/24/2014/होम गार्ड/1297-1306, दिनांक 04.03.2014
4. अधिसूचना संख्या फाइल 1/24/2014/होम गार्ड/1385-1394, दिनांक 30.03.2015
5. अधिसूचना संख्या फाइल 1/100/2015/होम गार्ड/757, दिनांक 15.02.2016
6. अधिसूचना संख्या फाइल 1/41/2017/होम गार्ड/6607-6618, दिनांक 29.11.2017
7. अधिसूचना संख्या फाइल 1/02/2019/होम गार्ड/1016-1028, दिनांक 27.02.2019
8. अधिसूचना संख्या फाइल 1/28/2019/होम गार्ड/5840-5852, दिनांक 03.10.2019
9. अधिसूचना संख्या फाइल 1/02/2019/होम गार्ड/1413-1425, दिनांक 27.03.2020
10. अधिसूचना संख्या फाइल 1/02/2019/होम गार्ड/977-989, दिनांक 07.04.2021
11. अधिसूचना संख्या फाइल 1/28/2019/होम गार्ड/1230-1242, दिनांक 23.06.2021
12. अधिसूचना संख्या फाइल 1/03/2022/होम गार्ड/799-811, दिनांक 25.03.2022
13. अधिसूचना संख्या फाइल 1/03/2022/होम गार्ड/873-885, दिनांक 29.03.2023
14. अधिसूचना संख्या फाइल 1/03/2022/होम गार्ड/2904-16, दिनांक 09.10.2023
15. अधिसूचना संख्या फाइल 1/03/2022/होम गार्ड/809-21, दिनांक 28.03.2024
16. अधिसूचना संख्या फाइल 1/03/2022/होम गार्ड/1695-1707, दिनांक 31.07.2024
17. अधिसूचना संख्या फाइल 1/03/2022/होम गार्ड/308-320, दिनांक 06.02.2025
18. अधिसूचना संख्या फाइल 1/03/2022/होम गार्ड/1200-13, दिनांक 05.05.2025
19. अधिसूचना संख्या फाइल 1/03/2022/होम गार्ड/3367-85, दिनांक 04.11.2025

## HOME DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 6th May, 2026

**No.F.1/3/2022/HG/6031-43.**—In exercise of powers conferred by section 8 of the Bombay Home Guards Act, 1947, as extended to National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Home Guards Rules, 1959, namely:-

1. **Short title and commencement-** (1) These rules may be called the Delhi Home Guards (Amendment), Rules, 2026.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

- 2. Amendment of rule 8.** In the Delhi Home Guards Rules, 1959, in Rule 8, after the Eighteenth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the tenure of existing Home Guard Volunteers on roll as on 30<sup>th</sup> April, 2026 (and due for discharge between the period 30<sup>th</sup> April, 2026 to 30<sup>th</sup> April, 2027) may be extended up to 30<sup>th</sup> April, 2027 or till such time fresh enrolment takes place or till such time the necessity ceases, whichever is earlier subject to satisfactory service records, general conduct as Home Guards during the tenure and also subject to physical fitness and age limit as prescribed in the Rules”.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of National Capital Territory of Delhi,  
NITIN PANIGRAHI, Dy. Secy.(Home)

**Note:** The principal rule were published in Part-IV in the Delhi Gazette Extraordinary dated the 20<sup>th</sup> July, 1959, F.No.4/59-C.D. and amendments were made in Rule 8 of the Principal rule vide following Notifications:

1. Notification No.F.1/16/07/HG/8301-8349, dated 01/07/2008.
2. Notification No.F.1/16/07/HG/5409, dated 24/12/2013.
3. Notification No.F.1/24/2014/HG/1297-1306, dated 04.03.2014.
4. Notification No.F.1/24/2014/HG/1385-1394, dated 30.03.2015.
5. Notification No.F.1/100/2015/HG/757, dated 15.02.2016.
6. Notification No.F.1/41/2017/HG/6607-6618, dated 29.11.2017.
7. Notification No.F.1/02/2019/HG/1016-1028, dated 27.02.2019.
8. Notification No.F.1/28/2019/HG/5840-5852, dated 03.10.2019.
9. Notification No.F.1/02/2019/HG/1413-1425, dated 27.03.2020.
10. Notification No.F.1/02/2019/HG/977-989, dated 07.04.2021.
11. Notification No.F.1/28/2019/HG/1230-1242, dated 23.06.2021.
12. Notification No.F.1/03/2022/HG/799-811, dated 25.03.2022.
13. Notification No.F.1/03/2022/HG/873-885, dated 29.03.2023.
14. Notification No.F.1/03/2022/HG/2904-16, dated 09.10.2023.
15. Notification No.F.1/03/2022/HG/809-21, dated 28.03.2024.
16. Notification No.F.1/03/2022/HG/1695-1707, dated 31.07.2024.
17. Notification No.F.1/03/2022/HG/308-320, dated 06.02.2025.
18. Notification No.F.1/03/2022/HG/1200-13, dated 05.05.2025.
19. Notification No.F.1/03/2022/HG/3367-85, dated 04.11.2025.